Under jurisdiction of Bilaspur Court only

साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED

(कोल इण्डिया का एक अंश @A Subsidiary of Coal India Ltd.)

" A MINI RATNA COMPANY "

CIN:U10102CT1985GOI003161

Tel:07815-271233 (Off.)
Fax: 07815-271250

Regd. Office
SEEPAT ROAD,
POST BOX No: 60
BILASPUR (CG)

कार्यालय महाप्रबंधक,कुसमुण्डा क्षेत्र

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER

KUSMUNDA AREA

पो. कुसमुण्डा कॉलरी,
जिला कोरबा (छ.ग.)
PO: KUSMUNDA COLLY.
DIST: KORBA (CG)

Ref. No: SECL/GM/ENV/KA/23-24/ 106 Date: 21.06.23

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
कटघोरा वन मण्डल, कटघोरा
जिला -कोरबा (छ.ग.)

विषय- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservatiion Act. 1980 Proposed for KUSMUNDA OPEN CAST MINE (Diversion of Additional 43.942 ha. of Revenue Forest land for Expansion of Kusmunda Open Cast Mine of M/s SECL for Coal Mining in Korba District of Chhattisgarh- reg.

संदर्भ - 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नया रायपुर का पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-271/1253 दिनांक 23.05.2023 |

2. आपके कार्यालय से प्राप्त पत्र क्र./तक.अधि/2023/3237 दिनांक 29.05.2023 |

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र, जिला कोरबा वन मण्डल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव ऑन लाईन / ऑफ लाईन अनुशंसा प्रस्तुत किया गया था, जिसके परिक्षण उपरान्त प्रस्ताव में पांच ऑन लाईन कमियाँ तथा तीन ऑफ लाईन कमियाँ पाई गयी थी, जिसका बिन्दुवार अनुपालन कर प्रेषित किया जा रहा है :-

<u>ऑन लाईन कमियाँ</u>

क्र.	कमियाँ	प्रतिपालन
1.	Form A part -1 के बिंदु क्रमांक C में KML file अपलोड नही है | पुनः के एम एल अपलोड करते समय ध्यान रखे कि KML file के attribute में विवरण (जैसे RF/PF along with compartment no. and area in ha. / Revenue Forest Land along with Khasra no. and area in ha. आदि) जानकारी के साथ अपलोड करें |	Form A part -1 के बिंदु क्रमांक C में KML file को attribute के साथ आवश्यक सुधार कर अपलोड किया गया है |
2.	फ़ार्म - ए के पार्ट -2 के बिंदु क्रमांक -13 में अपलोड के.एम्.एल. फाईल के एट्रीब्यूट में विवरण (जैसे RF/PF along with compartment no. and area in ha. / Revenue Forest Land along with Khasra no.	फ़ार्म - ए के पार्ट -2 के बिंदु क्रमांक -13 में अपलोड के.एम्.एल. फाईल के एट्रीब्यूट में विवरण (जैसे RF/PF along with compartment no. and area in ha. / Revenue Forest Land along with

	and area in ha. आदि) सहित जानकारी अपलोड नहीं है | सुधार कर पुनः अपलोड करें |	Khasra no. and area in ha. आदि) आवश्यक सुधार कर पुनः जानकारी सोफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जा रहा है जो की वन मंडला अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय से अपलोड किया जायेगा |
3.	फ़ार्म - ए के पार्ट -2 के बिंदु क्रमांक -13 (iii) अपलोड Geo-referenced map वन मण्डलाधिकारी द्वारा सत्यापित नक्शा अपलोड नहीं किया गया है | सुधार कर अपलोड करें |	फ़ार्म - ए के पार्ट -2 के बिंदु क्रमांक -13 (iii) अपलोड Geo-referenced map वन मण्डलाधिकारी द्वारा सत्यापित नक्शा प्राप्त कर लिया गया है, जिसकी सोफ्ट कॉपी वन मंडला अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय से अपलोड किया जायेगा |
4.	फ़ार्म - ए के पार्ट -2 के बिंदु क्रमांक 7 में दूरी 5.1 एवं प्रपत्र -3 बिंदु (vi)में दूरी की. मी. से अधिक लेख किया गया है | दोनों जानकारी में विसंगति है जिसे सुधार कर एकजाई जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड करें |	फ़ार्म - ए के पार्ट -2 के बिंदु क्रमांक 7 में दूरी 5.1 एवं प्रपत्र -3 बिंदु (vi)में दूरी की. मी. से अधिक लेख किया गया है | दोनों विसंगति सुधार कर एकजाई जानकारी वेब पोर्टल पर वन मण्डलाधिकारी कार्यालय, कटघोरा द्वारा अपलोड कर दिया जायेगा |
5.	Online Form A part -II के बिंदु क्रमांक 16 (Special recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason) 94.293 हे. गेवरा ओपन कास्ट परियोजना मुख्य वन संरक्षक का निरिक्षण प्रतिवेदन भाग - 3 अपलोड किया गया है | जो सही नहीं है | सुधार कर सही निरिक्षण प्रतिवेदन अपलोड करें |	Online Form A part -II के बिंदु क्रमांक 16 (Special recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason) का सही निरिक्षण प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, बिलासपुर के द्वारा अपलोड कर दिया जायेगा |

<u>ऑफ लाईन कमियाँ</u>

क्र.	कमियाँ	प्रतिपालन
1.	प्रस्ताव में आवेदित राजस्व वन भूमि रकबा 43.942 हे. का कलेक्टर जिला कोरबा के पत्र दिनांक 17.02.2016 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र 142.257 हे. का संलग्न किया गया है | आवेदित राजस्व वन भूमि एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र भिन्नता है | स्थिति स्पष्ट करें |	कलेक्टर जिला कोरबा के पत्र दिनांक 17.02.2016 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में आवेदित राजस्व वन भूमि रकबा 43.942 हे. के सभी रकबे के अलावा (98.315 हे. के सभी रकबे जो राजस्व वन भूमि आवेदन से पूर्व कुसमुंडा ओपन कास्ट परियोजना का हिस्सा था, वर्तमान में गेवरा ओपन कास्ट परियोजना का अंग है) , इस प्रकार कुल 142.257 हे. का अनापत्ति प्रमाण पत्र कुसमुंडा ओपन कास्ट परियोजना को दिया गया था | अतः अतिरिक्त 98.315 हे राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण गेवरा ओपन कास्ट द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा |

2.	आवेदित राजस्व वन भूमि रकबा 43.942 हे. के एवज में दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र 87.884 हे. होता है जबकि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 99.577 हे. का प्रस्ताव संलग्न किया गया है जिसमें से जो 11.693 हे. अधिक है। अतः 11.693 हे. अधिक क्षेत्र का राशि जमा करने का वचन पत्र अथवा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रकबा 87.884 हे. का संशोधित 10 वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण अद्‌धतन दर से तैयार क्र संलग्न करें।	आवेदित राजस्व वन भूमि रकबा 43.942 हे. के एवज में दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र 87.884 हे का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु संशोधित 10 वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण अद्‌धतन दर से तैयार कर वन मण्डलाधिकारी कार्यालय में दिनांक 16.06.23 को जमा किया गया है। (**Annexure-I** पावती संलग्न है)
3.	व्यवस्थापन प्लान वन मण्डलाधिकारी / मुख्य वन संरक्षक / जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापित नही किया गया है।	कुसमुंडा ओपन कास्ट परियोजना का व्यवस्थापन प्लान, कोल इंडिया के व्यवस्थापन नीति के तहत बनाया गया है। प्रत्येक गाँव के विस्थापन के पूर्व, उस गाँव सम्बंधित व्यवस्थापन प्लान की विवेचना जिला पुर्नवास एवं पुनरस्थापना समिति, ग्रामवाशियों तथा सरपंच के साथ, जिला कलेक्टर के उपस्थिति में, हुई बैठक में की जाती है, जिसमे अदिग्राहित जमीन की मुआबजा, मकानों की कीमत, जमीन के एवज में नौकरी, पुर्नवास एवं पुनरस्थापना की योजना इत्यादि की समीक्षा किये जाने के बाद, जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदन के उपरान्त ही व्यवस्थापन प्लान अमल में लाया जाता है। (**Annexure-II** रिसदी, पाली, पडनिया, सोनपुरी,जटराज, खोडरी गाँव पुर्नवास एवं पुनरस्थापना समिति द्वारा अनुशंसा एवं कलेक्टर द्वारा अनुमोदित विवरण कार्यवृत संलग्न है)

यह आपके अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

धन्यवाद

संलग्न -यथोपरी

भवदीय

21/6/2023

महाप्रबंधक

एस.ई.सी.एल,कुसमुण्डा क्षेत्र

प्रतिलिपि

1. महाप्रबंधक (पर्या./वन), एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर।
2. महाप्रबंधक (खनन), कुसमुण्डा परियोजना।
3. महाप्रबंधक (संचालन), कुसमुण्डा क्षेत्र।

ANNEXURE-I

कार्यालय मुख्यं वन संरक्षक (क्षेत्रीय), दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

E-mail – ccf.durg@gmail.com, Phone No. 0788-2210160 & Fax- 0788-2210814

क्रमांक/व्ययलेखा/4202 दुर्ग, दिनांक 14/06/2023

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा
बिलासपुर वृत्त (छ.ग.)

विषय :– **Diversion of Additaional 43.942 ha.Revenue Forest land for Expansion of Kusmunda Opencast COAL Mine of M/s. South Eastern Coalfields Limited for Coal Mining in Korba district of Chhattisgarh.**
(पंजीयन क्रमांक–FP/CG/MIN/4160/2019 Dt. 18-10-2019)

संदर्भ :– 1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. का पत्र क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–271/1253 दिनांक 23.05.2023.
2) आपका कार्या. पत्र क्र./तक.अधि./2023/3237–3238 दि. 29.5.2023.
3) इस कार्यालय का पत्र क्र./व्ययलेखा/616 दिनांक 25.01.2023.
3) व.म.अ. कवर्धा का पत्र क्र./तक.अधि./1372 दिनांक 12.06.2023.

***

विषयांतर्गत महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा क्षेत्र, जिला–कोरबा (छ.ग.) वनमण्डल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्य हेतु 43.942 हे. राजस्व वनभूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत कवर्धा वनमण्डल के परिक्षेत्र स./लोहारा के कक्ष क्र. पी.एफ. 265 रकबा 40.000 हे. का 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2022–23 की दर से राशि 878787/– प्रति हेक्टेयर से तैयार कर प्रेषित किया गया था, जिसमें वरिष्ठ कार्यालय के संदर्भित पत्र (1) द्वारा की गई आपत्ति का निराकरण करते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 में लागू दर रूपये 9,66,666/– प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण का निम्नानुसार प्रस्ताव वनमंण्डलाधिकारी, कवर्धा द्वारा प्रेषित किया गया है :–

क्र.	वनमण्डल	परिक्षेत्र	कार्य का विवरण	कक्ष क्र.	रकबा (हे.में)	प्राक्कलन राशि
1.	कवर्धा	स.लोहारा	10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	पी.एफ. 265	40.000	3,86,66,645/–

अतः उपरोक्तानुसार प्राक्कलन की एवं दो प्रति प्रति मूलतः आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/व्ययलेखा/4203 दुर्ग, दिनांक 14 /06/2023

प्रतिलिपि :– वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, कवर्धा की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Receipt ★ व.म.अ. कटघोरा वनमण्डल कटघोरा
क्र. [illegible]
दि 16-06-23

मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय वनमंडल अधिकारी, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.)
E_Mail :- khairagarhdfo@yahoo.com, Phone & Fax - (07820) 234278

क्रमांक / तक.अधि. / न.क्र. क्ष.रो. 22–18 / 2280 खैरागढ़, दिनांक 12/06 / 2023

प्रति,

वनमंडल अधिकारी,
कटघोरा वनमंडल कटघोरा

विषय :– ओपन कास्ट कोयला खदान हेतु कटघोरा वनमंडल की प्रभावित हो रही वनभूमि/राजस्व वनभूमि के विरूद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिए दोगुनी बिगड़े वनभूमि की उपलब्धता के संबंध में उपयुक्तता बाबत्। (पंजीयन क्रमांक– FP/CG/MIN/41604/2019 दिनांक 18.10.2019)

संदर्भ :– आपका कार्यालयीन पृ.क्र. 3238 दिनांक 29.05.2023

Receipt क्र. Vinod दि. 16.06.23 व.मं.अ. कटघोरा वनमंडल कटघोरा

–000–

विषयांकित प्रकरण के संबंध में अवगत हो कि आवेदक संस्थान महाप्रबंधक एस.ई.सी. एल. बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा ओपन कास्ट कोयला खदान हेतु कटघोरा वनमंडल की प्रभावित हो रही 43.942 हेक्टेयर वनभूमि/राजस्व वनभूमि के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिये खैरागढ़ वनमंडल के गंडई एवं साल्हेवारा परिक्षेत्र के विभिन्न 02 वनकक्षों की 59.577 हे. तथा कवर्धा वनमंडल की 40.000 हे. कुल 99.577 हे. दोगुनी बिगड़े वनभूमि प्रस्तावित की गई थी। बिगड़े वनभूमि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	परिक्षेत्र	उपवृत्त	परिसर	कक्ष क्रमांक	कक्ष का कुल रकबा हे. में	वनीकरण हेतु उपलब्ध रकबा हे. में
1	गण्डई	ठाकुरटोला	अचानकपुर पूर्व	पी–100	257.420	13.386 पैच–1
						8.313 पैच–2
2	साल्हेवारा	कोपरो	कोपरो पूर्व	पी–135	291.210	37.878
			योग –			59.577

इस प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.स.अ.) छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक 1253 दिनांक 23.05.2022 द्वारा ऑफलाईन कमियां के बिन्दु क्रमांक 02 में यह लेख किया गया है कि आवेदित राजस्व वनभूमि रकबा 43.942 हे. के एवज में दोगुने बिगड़ा वनक्षेत्र 87.884 हे. होता है जबकि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 99.577 हे. का प्रस्ताव दिया गया है। जो 11.693 हे. अधिक है। इस बाबत अधिक क्षेत्र की राशि जमा करने का वचन पत्र अथवा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रकबा 87.884 हे. का संशोधित दस वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण अद्यतन दर से तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर को दिया गया है। इस बाबत संदर्भित पत्र के माध्यम से उपरोक्त बिन्दु के निराकरण के लिये आवश्यक सहयोग देने का आग्रह किया गया है।

आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु साल्हेवारा परिक्षेत्र के वनकक्ष क्रमांक पी–135 के रकबा 37.878 हे. पूर्व में प्रस्तावित किया गया था जिसमें से 11.693 हे. क्षेत्र कम करते हुए 26.185 हे. क्षेत्र प्रस्तावित करने से संबंधित डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में खैरागढ़ वनमंडल की निम्नानुसार दोगुनी बिगड़े वनभूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिये प्रस्तावित की जा रही है :–

क्र.	परिक्षेत्र	उपवृत्त	परिसर	कक्ष क्रमांक	कक्ष का कुल रकबा हे. में	वनीकरण हेतु उपलब्ध रकबा हे. में
1	गण्डई	ठाकुरटोला	अचानकपुर पूर्व	पी–100	257.420	13.386 पैच–1
						8.313 पैच–2
2	साल्हेवारा	कोपरो	कोपरो पूर्व	पी–135	291.210	26.185
			योग –			47.884

गौरतलब हो कि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध / व.स.अ.) छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक 807 दिनांक 31.03.2023 द्वारा वर्ष 2023–24 के लिये दस वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना हेतु राशि 966666 / – रूपये प्रति हे. निर्धारित किया गया है। अतः उक्त दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार कर, क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र, संशोधित डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट का सत्यापन कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

<u>संलग्न</u> :– उपरोक्तानुसार

वनमंडल अधिकारी,
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़

पृ.क्र. / तक.अधि. / न.क्र. क्ष.रो. 22–18 / 2281 खैरागढ़, दिनांक 21 / 06 / 2023

<u>प्रतिलिपि</u> :– महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडल अधिकारी,
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़

ANNEXURE-II (2)

कुसमुण्डा विस्तार परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित की गई ग्रामों के भू-स्वामियों/निवासियों को पुनर्व्यवस्थापन के लिए कोल इंडिया की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (आर एण्ड आर) नीति 2012 के अनुमोदन के संबंध में बैठक दिनांक 28/03/2016 का कार्यवाही विवरण :-

जिला कार्यालय कोरबा में श्री पी.दयानंद, कलेक्टर कोरबा की अध्यक्षता में कुसमुण्डा विस्तार परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित की गई ग्रामों की भू-स्वामियों/निवासियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए कोल इंडिया की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (आर एण्ड आर) नीति 2012 के अनुमोदन के संबंध में बैठक दिनांक 28/03/2016 को आयोजित बैठक में निम्नानुसार अधिकारीगण, सरपंचगण एवं ग्रामीण उपस्थित रहे :-

क0	नाम एवं पद नाम
1-	श्री एडमण्ड लकड़ा, अपर कलेक्टर, कोरबा
2-	श्री विश्वास राव मेश्राम, डिप्टी कलेक्टर, कोरबा
3-	श्री यू.के.सिंह, क्षेत्रिय महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा
4-	श्री घनश्याम सिंह, महाप्रबंधक (संचालन) कुसमुण्डा
5-	श्री आर.पी.शाह, परियोजना अधिकारी एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा
6-	श्री अजय कुमार कर, वरिष्ट प्रबंधक खनन (भू-राजस्व विभाग) एस.ई.सी.एल.बिलासपुर
7-	श्री आर.के. वधावन, नोडल अधिकारी, एस.ई.सी.एल.कुसमुण्डा
8-	श्री बी.के. पाण्डेय, वरिष्ट राजस्व निरीक्षक एसईसीएल कुसमुण्डा
9-	श्रीमती सीता कंवर, सरपंच, ग्राम पंचायत खोडरी
10-	श्री दुबराज सिंह कंवर, सरपंच, ग्राम पंचायत खैरभवना
11-	श्रीमती कमला बाई, सरपंच, ग्राम पंचायत पाली
12-	श्रीमती भानूमति जायसबाल, पार्षद जटराज /सर्वमंगला नगर
13-	श्री प्रताप सिंह कंवर, ग्राम रिस्दी

भानुमती जायसवाल
पार्षद
क्र. - 54, सर्वमंगला नगर
निगम, कोरबा (छ. ग.)

सीताकंवर
सरपंच
ग्राम पंचायत - खोडरी
जनपद पंचायत - कटघोरा
जिला-कोरबा (छ.ग.)

बैठक के आरंभ में कलेक्टर महोदय द्वारा एसईसीएल कुसमुण्डा विस्तार परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित किये जाने वाले ग्राम पाली, पड़निया, रिसदी, सोनपुरी एवं जटराज के भू-विस्थापितों/निवासियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए कोल इंडिया की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (आर एण्ड आर) नीति 2012 एवं छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति 2007 के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। तत्पश्चात महाप्रबंधक, एसईसीएल, कुसमुण्डा द्वारा कोल इंडिया के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (आर एण्ड आर) नीति 2012 एवं छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति 2007 के संबंध में तुलनात्मक प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत किया गया।

एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र :-एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र के महाप्रबंधक द्वारा कुसमुण्डा विस्तार परियोजना के 10 से 15 मिलियन टन उत्पादन विस्तार हेतु ग्राम पाली, पडनिया, रिसदी, सोनपुरी एवं जटराज का अधिग्रहण कोल बियरिंग एरिया एक्ट 1957 द्वारा किया जाना बताया। उन्होने प्रभावित परिवारों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए भू-विस्थापितों को कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया। उनके द्वारा बताया गया कि अर्जन किये जाने वाले ग्रामों का कुल प्रभावित निजी भूमि का रकबा 1600.51 एकड़ है। अतः कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 के तहत 801 भू-विस्थापितों को एसईसीएल में स्थायी रोजगार दिया जावेगा। यह रोजगार प्रत्येक 2 एकड़ में एक व्यक्ति की दर से दिया जाने का प्रावधान है तथा अतिरिक्त भूमि के

सरपंच
ग्राम पंचायत - पाली
जन.पंचा. - कटघोरा
जिला-कोरबा

लिए प्रति 2 एकड़ के तहत एक रोजगार दिया जाना बताया गया है। यदि कोई परियोजना से प्रभावित व्यक्ति रोजगार नहीं लेना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उन्हे प्रति एकड पांच लाख रूपये रोजगार के विकल्प में एकमुश्त पैकेज राशि दिया जाना बताया गया। इसके अतिरिक्त उन्होने यह भी बताया ग्राम के रकबे के आधार पर प्रत्येक भू–विस्थापितों की घटते कम में वरियता सूची तैयार किया जायेगा। जिन भूमि स्वामियों की भूमि 2 एकड़ से कम है उनके भूमि के रकबे में घटते क्रम में कटआप पाइंट तक रोजगार दिये जाने का प्रावधान होना बताया गया है। शेष बचे भू–स्वामी या जिन्हें रोजगार प्रदान नहीं किया जा सकेगा उन्हें रोजगार के एवज में नगद राशि प्रति एकड़ की दर से पांच लाख दिया जावेगा तथा कम जमीन होने पर रोजगार के बदले अनुपातिक रूप से एकमुश्त राशि दी जावेगी । उदाहरण के लिए यदि आधा एकड़ (50 डिसमिल)भूमि अर्जित की जाती है तो उसे आनुपातिक रूप से पांच लाख का आधा अर्थात रूपये 2,50,000=00 की पात्रता होगी । किन्तु भूमि का रकबा कितना भी कम हो यह एकमुश्त पैकेज राशि रूपये 50,000=00 से कम नहीं होगी ।

इस नीतिके अंतर्गत रोजगार के श्रेणी में आने वाले भू–स्वामियों जिनके पास तकनिकी की डिग्री या डिप्लोमा होल्डर प्रमाण पत्र है, उनके परिविक्षा अवधि समाप्त होने के बाद ग्रेड–बी एवं ग्रेड–सी में पदस्थ किये जाने का प्रावधान होना बताया है। इस संबंध में भू–विस्थापितों द्वारा मांग की गई कि जो भू–विस्थापित एवं नामांकित व्यक्ति के पास (इंजीनियरिंग / मेडिकल) तकनिकी डिग्री या डिप्लोमा होल्डर प्रमाण पत्र है, उन्हें योग्यता अनुसार नियुक्ति के समय से ही ग्रेड–बी एवं ग्रेड–सी में पदस्थ किये जाये ताकि उन्हें शिक्षा के अनुरूप प्राथमिकता मिल सकें। एसईसीएल प्रबंधन द्वारा सहमति व्यक्त की गई। तदानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक / महाप्रबंधक, एसईसीएल कुमसुण्डा)

एसईसीएल अधिकारियों द्वारा ग्राम रिसदी, पड़निया, पाली, जटराज एवं सोनपुरी के खातेदारों का भूमि के रकबे में घटते क्रम के तहत कट–अप पांइट में रोजगार दिये जाने हेतु सूची बनाई गई थी। जिसका प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार ग्राम रिसदी के कुल 168 भू–विस्थापित हैं, जिसमें भूमि का अंतिम रकबा 0.68 एकड़ पहुंचना बताया गया। ग्राम पड़निया के कुल 283 भू–विस्थापित हैं, जिसमें भूमि का अंतिम रकबा 0.70 एकड़ पहुंचना बताया गया। ग्राम पाली के कुल 153 भू–विस्थापित हैं, जिसमें भूमि का अंतिम रकबा 0.55 एकड़ पहुंचना बताया गया। ग्राम जटराज के कुल 27 भू विस्थापित हैं, जिसमें भूमि का अंतिम रकबा 0.60 एकड़ पहुंचना बताया गया तथा ग्राम सोनपुरी के कुल 170 भू–विस्थापित सम्मिलित हैं, जिसमें भूमि का अंतिम रकबा 0.58 एकड़ पहुंचना बताया गया। । इन पॉचों ग्रामो में कुल 801 भू–विस्थापितों को रोजगार दिये जाने का उल्लेख है।

बसाहट के लिए प्रति परिवार वयस्क के आधार पर 6 डिसमिल प्लाट पुनर्वास स्थल पर दिया जाना बताया गया। यदि बसाहट स्थल में उनके द्वारा प्लाट नहीं लिये जाने पर प्लाट के एवज में नगद राशि रूपये 3,00,000=00 प्रत्येक परिवार को दिया जाना बताया है। पुनर्वास ग्राम वैशाली नगर, जिसमें उपलब्ध भूमि का रकबा 86.309 हे. एवं यमुना नगर, जिसमें उपलब्ध भूमि का रकबा 11.855 हे. प्रस्तावित है। जिसमें सामुदायिक भवन, स्कूल, आंगनबाडी, स्वास्थ्य केन्द्र, पक्की सड़कें, दोनों तरफ नालियां एवं सिवरेज तथा विद्युत व्यवस्था इत्यादि की व्यवस्था पुनर्वास स्थल पर किया जाना बताया गया।

महाप्रबंधक द्वारा भूमि के मुआवजा के संबंध में कृषि भूमि के बाजार मूल्य के मार्गदर्शक सिद्धांत कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2015–16 एवं 2009–10के अनुसार निम्नानुसार गणना किया गया है :–

कलेक्टर गाईड लाईन तहसील कटघोरा, रा0नि0म0 दीपका, जिला कोरबा

पी.एल.आर.सी. के तहत किया जाना तथा दोनों ही अधिग्रहण में पृथक–पृथक मुआवजा वितरण कर दोनों ही अधिग्रहण में अलग–अलग रोजगार की पात्रता बनती है, किन्तु एस.ई.सी.एल. द्वारा दोनों ही अधिग्रहण को एक बताकर भू–विस्थापितों / आश्रित को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में निर्देशित किया गया की भूमि अधिग्रहण के बाद जन्म हुए पुत्र जिसकी समय–सीमा निर्धारित न हो, को रोजगार की पात्रता बनती है तथा अलग–अलग अधिग्रहण में भी भू–विस्थापितों/आश्रित को रोजगार की पात्रता बनती है। जिन भू–विस्थापितों /आश्रितों के द्वारा वांछित दस्तावेज समय सीमा पर नहीं दिया गया है तथा जिनके आवेदन नहीं लिये गये है। उन्हें भी अवसर देते हुए कार्यवाही के संबंध में एस.ई.सी.एल. को निर्देशित किया गया तथा प्रत्यक्ष रैखिक वारिस पुरूष नहीं होने के कारण पुत्री को जिन प्रकरणों में रोजगार प्रदान नहीं किया गया है उन्हें भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देशित किया गया। उक्त सभी प्रकरणों को एस.ई.सी.एल. मुख्यालय बिलासपुर से अनुमति प्राप्त कर शीघ्र रोजगार की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया ।

महाप्रबंधक एसईसीएल कुसमुण्डा द्वारा रोजगार हेतु शेष बचे लोगों को भी परियोजना में सुरक्षा गार्ड, प्रशिक्षण विकास कर स्व रोजगार एवं परियोजना में अन्य ठेका एवं कोऑपरेटिव सोसायटी के माध्यम से रोजगार दिलाये जाने के लिए निर्देशित किया गया। एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा विस्तार परियोजना के भू–विस्थापितों को परियोजना के ही अंतर्गत रोजगार उपलब्ध हों तो उन्हें कुसमुण्डा परियोजना में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक/महाप्रबंधक, एसईसीएल कुमसुण्डा)

भू–विस्थापितों द्वारा अवगत कराया गया कि भू–स्वामी की मृत्यु होने पर भारतीय उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सक्षम न्यायालय (सिविल कोर्ट) द्वारा जारी कराकर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग की जाती है । उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने में काफी समय लगता है। इस संबंध में निर्देशित किया गया कि भू–स्वामी के मृत्यु के पश्चात वारिस की पुष्टि करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के स्थान पर फौती प्रमाण पत्र के आधार पर एवं भू–स्वामी की मृत्यु प्रमाण पत्र तथा परिवार के वंशवृक्ष /आधार कार्ड देना होगा, उक्त आधार पर एसईसीएल प्रबंधन भू–स्वामियों के मुआवजा एवं रोजगार के प्रकरण पर कार्यवाही करेगी।

(कार्यवाही अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक/महाप्रबंधक, एसईसीएल कुमसुण्डा)

एसईसीएल के कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 के तहत रोजगार दिये जाने के संबंध में स्पष्ट लाभ हानि का आंकलन तथा छ0ग0शासन द्वारा जारी पुनर्वास नीति के तहत तुलनात्मक चार्ट बनाकर ग्रामवासियों को दिखाया गया। तुलनात्मक चर्चा के बाद पाया गया कि कोल इंडिया आर0 एण्ड आर0 पालिसी 2012 के तहत अर्जित रकबा के घटते क्रम के पद्धति से रोजगार /नौकरी देने से प्रभावित भू–धारकों को अधिकतम रोजगार एवं अन्य वित्तीय लाभ होगें।

इस संबंध में ग्रामवासियों को समझाइस दिये जाने के पश्चात कोल इंडिया आर0 एण्ड आर0 पालिसी 2012 के तहत कार्यवाही करने के लिये निर्णय लिया गया। तदनुसार भू–धारकों के अर्जित रकबा के घटते क्रम की पद्धति से रोजगार /नौकरी की कार्यवाही किया जावें। घटते कम के सूची में कटअप पॉईट से नीचे नौकरी से वंचित भू–धारक अथवा उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति को एसईसीएल प्रबंधन द्वारा वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने की कार्यवाही किया जावें। इस पर एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा द्वारा सहमति दी गई।

वर्ष 2015–16

ग्राम का नाम	मुख्य मार्ग पर स्थित सभी किस्म की भूमि (रू.प्रति एकड़)	सिंचित भूमि (रू.प्रति एकड़)	असिंचित भूमि (रू.प्रति एकड़)
पाली	9,83,612	6,49,494	4,24,241
सोनपुरी	9,37,070	6,18,332	3,96,641
रिसदी	9,60,218	6,33,913	4,13,840
जटराज	9,34,844	6,12,100	3,76,608
पड़निया	8,30,149	5,43,099	3,57,628

वर्ष 2009–10

ग्राम का नाम	मुख्य मार्ग पर स्थित सभी किस्म की भूमि प्रति एकड़ (रू.प्रति एकड़)	सिंचित भूमि प्रति एकड़ में (रू.प्रति एकड़)			असिंचित भूमि प्रति एकड़ में (रू.प्रति एकड़)		
		कन्हार	मटासी	टिकरा	कन्हार	मटासी	टिकरा
पाली	2,99,959	2,72,521	2,56,131	2,49,291	1,81,707	1,70,902	1,66,239
सोनपुरी	2,81,829	2,56,131	2,49,494	2,39,943	1,70,902	1,66,248	1,60,137
रिसदी	2,81,829	2,56,131	2,49,494	2,39,943	1,70,902	1,66,248	1,60,137
जटराज	2,81,829	2,56,131	2,49,494	2,39,943	1,70,902	1,66,248	1,60,137
पड़निया	2,46,094	2,23,796	2,17,685	1,92,229	1,71,388	1,45,204	1,28,085

छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर द्वारा जारी पुनर्वास नीति 2007 के तहत संशोधित दर प्रति एकड़ निम्नानुसार निर्धारित है –

क्रमांक	भूमि का किस्म	मुआवजा दर
1	पड़त भूमि	रू0 6 लाख प्रति एकड़
2	असिंचित (एक फसली)	रू0 8 लाख प्रति एकड़
3	सिंचित (दो फसली)	रू0 10 लाख प्रति एकड़

बिकी छांट / कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार दर कम होने से शासन द्वारा जारी मुआजवा का दर प्रति एकड़ 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख के हिसाब से दिये जाने की बात कही गई।

ग्रामवासी / सरपंचगण द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम के सभी भू–विस्थापितों कोरोजगार एवं उचित मुआवजा उपलब्ध कराये जाने पर ही भूमि को अधिग्रहण पर दिये जाने की बात कही गई तथा कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 के तहत रोजगार नहीं लेने हेतु भी बात कही गई।

ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा परियोजना के अंतर्गत पूर्व में अधिग्रहित किये गये भूमि के एवज में बहुत से भू–विस्थापितों को एस.ई.सी.एल. द्वारा आज पर्यन्त तक रोजगार नहीं दिये जाने की बात कही गई। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि एस.ई.सी.एल. प्रबंधन द्वारा खातेदार के पुत्र का जन्म अर्जन के बाद में होने, प्रथम बार भूमि का अधिग्रहण सी.बी.ए. एक्ट के तहत किया जाना तथा द्वितीय अधिग्रहण एम.

देश की विकास में भारत सरकार के उपक्रम को कोयला की मांग की आवश्यकता को देखते हुए एसईसीएल के कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 के तहत् एसईसीएल प्रबंधन एवं ग्रामीणों के मध्य हुए चर्चा के अनुसार पात्र भू–विस्थापितो को शीघ्र नौकरी एवं मुआवजा वितरण एसईसीएल कुसमुण्डा प्रबंधन द्वारा प्रारंभ किया जावेगा।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई ।

कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)

पृष्ठांकन कमांक / 7374 / पुनर्वास / 2016 कोरबा, दिनांक 03/06/2016

प्रतिलिपिः–

1– अध्यक्ष, सह प्रबंध निदेशक, एस0ई0सी0एल0, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कटघोरा की ओर सूचनार्थ।

3– महाप्रबंधक एस0ई0सी0एल0,कुसमुण्डा,कोरबा,गेवरा,दीपकाकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

4– तहसीलदार पाली / कटघोरा की ओर सूचनार्थ।

5– प्रभावित ग्राम के सरपंच .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)

कुसमुण्डा विस्तार परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित ग्राम खोडरी, ग्राम पंचायत खोडरी तहसील दीपका के भू–स्वामियों/निवासियों को पुनर्व्यवस्थापन एवं पुर्नस्थापना (आर एण्ड आर) हेतु नीति के चयन एवं अनुमोदन के संबंध में जिला पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना समिति की बैठक दिनांक 25.11.2022 का कार्यवाही विवरण :–

जिला कार्यालय कोरबा में श्री संजीव कुमार झा, कलेक्टर कोरबा की अध्यक्षता में कुसमुण्डा विस्तार परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित ग्राम खोडरी, ग्राम पंचायत खोडरी, तहसील दीपका के भू–स्वामियों/निवासियों के पुनर्व्यवस्थापना के लिए पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना (आर एण्ड आर) नीति के चयन एवं अनुमोदन के संबंध में दिनांक 25.11.2022 को जिला पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना समिति की कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में निम्नानुसार अधिकारीगण, सरपंचगण एवं ग्रामीण उपस्थित रहे :–

क्र.	नाम एवं पदनाम
1.	श्री दिजेन्द्र सिंह गाटले, अपर कलेक्टर कोरबा
2.	श्री संजय मिश्रा, महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा
3.	श्री आर.के. बधावन, मुख्य प्रबंधक, एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा
4.	श्री एस.आई.हसन प्रबंधक, एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा
5.	श्री किर्ती के.जी. उप प्रबंधक,एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा
6.	श्री अनिल कुमार, प्रबंधक (एल.एण्ड आर.) एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा
7.	श्री अमित चटर्जी, उप प्रबंधक, (एल.एण्ड आर.) एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा
8.	श्री के. एस. चौहान, प्रबंधक (खनन) एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा
9.	श्रीमती सीता कंवर, (सरपंच) ग्राम पंचायत खोडरी
10.	श्री अजय कुमार कंवर, (उप सरपंच) ग्राम पंचायत खोडरी
11.	श्री प्रताप सिंह कंवर, ग्रामवासी खोडरी
12.	श्री मंगलभवन सिंह, ग्रामवासी खोडरी
13.	श्री राम सिंह कंवर, ग्रामवासी खोडरी
14.	श्री शिवनारायण, ग्रामवासी खोडरी
15.	श्री व्यासनारायण, ग्रामवासी खोडरी
16.	श्री सुरजीत कुमार, ग्रामवासी खोडरी
17.	श्री दरसूराम, ग्रामवासी खोडरी
18.	श्री चैन सिंह, ग्रामवासी खोडरी
19.	श्री चंद्रपाल सिंह, ग्रामवासी खोडरी
20.	श्री प्रकाश दास, ग्रामवासी खोडरी
21.	श्री सत्यनाराण, ग्रामवासी खोडरी
22.	श्री बलवन्त, ग्रामवासी खोडरी
23.	श्री सुनील दास, ग्रामवासी खोडरी

बैठक के आरंभ में कलेक्टर महो0 द्वारा एसईसीएल कुसमुण्डा विस्तार परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित किये जाने वाले ग्राम खोडरी, तहसील दीपका, के भू–विस्थापितों/निवासियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए कोल इंडिया की पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना (आर एण्ड आर) नीति 2012 एवं छत्तीसगढ़ पुर्नवास नीति 2007 के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। तत्पश्चात् महाप्रबंधक, एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र द्वारा कोल इंडिया के पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना (आर एण्ड आर) नीति

2012, छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति 2007 एवं भूमि अधिग्रहण अधिनियम (RFCTLARR) 2013 के अंतर्गत दिये जाने वाले लाभ के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए तुलनात्मक प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत किया गया।

एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र :– एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र के महाप्रबंधक द्वारा कुसमुण्डा विस्तार परियोजना के अंतर्गत 50 मिलियन टन उत्पादन हेतु ग्राम खोडरी, तहसील दीपका का अधिग्रहण कोल बियरिंग एरिया एक्ट 1957 के अंतर्गत धारा 4(1) का प्रकाशन दिनांक 13.05.2014, धारा 7(1) का प्रकाशन दिनांक 20.07.2015 तथा धारा 9(1) का प्रकाशन दिनांक 18.07.2018 को किया गया था। उन्होंने प्रभावित परिवारों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के लिए भू–विस्थापितों को कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत कर अवगत कराया।

- महाप्रबंधक एसईसीएल कुसमुण्डा द्वारा बताया गया कि अर्जन किये गये ग्राम खोडरी तहसील दीपका की कुल प्रभावित निजी भूमि/कृषि भूमि का रकबा 92.009 हे0 (227.52 एकड़) है जिसमें कुल खातेदारों की सख्या 212 है। कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 के तहत् 113 भू–विस्थापितों को एसईसीएल में स्थायी रोजगार दिया जावेगा। यह रोजगार प्रत्येक 2 एकड़ में एक व्यक्ति की मान से दिया जाने का प्रावधान है। यदि परियोजना से प्रभावित कोई व्यक्ति रोजगार नहीं लेना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रति रोजगार रूपये 20.00 लाख (बीस लाख) रोजगार के विकल्प में एक मुश्त पैकेज राशि दिया जाना बताया गया।
- जिन भू–स्वामियों की भूमि 2 एकड़ से कम है उनके भूमि के रकबे में घटते क्रम में कटऑफ पाईंट तक रोजगार दिये जाने का प्रावधान होना बताया गया है।
- शेष बचे भू–स्वामी जिन्हें रोजगार प्रदान नहीं किया जा सकेगा उन्हें रोजगार के एवज में नगद राशि रूपये 10,00,000=00 प्रति एकड़ उनके अर्जित भूमि की अनुपातिक दर से दिया जावेगा। उदाहरण के लिए यदि आधा एकड़ (50 डिसमिल) भूमि अर्जित की जाती है तो उसे अनुपातिक दर से दस लाख का आधा अर्थात रूपये 5,00,000=00 की पात्रता होगी। किन्तु भूमि का रकबा कितना भी कम हो यह एक मुश्त पैकेज राशि रूपये 2,50,000=00 से कम नहीं होगी। उपरोक्त के अलावा कौशल विकास के लिए प्रति खातेदार को अतिरिक्त रूपये 2,50,000=00 दी जायेगी।
- ऐसे प्रभावित भू–धारक जिन्हें रोजगार सुविधा की पात्रता है वे लोग या तो रोजगार ले सकते है या रोजगार को छोड़ सकते है तथा उसके स्थान पर 150 रूपये प्रति डिसमिल के हिसाब से न्यूनतम 2000 रूपये प्रतिमाह से अधिकतम 30000 रूपये प्रतिमाह 60 वर्ष की उम्र तक या परियोजना की उम्र इनमे से जो कम हो प्रतिवर्ष 1% Incremental Growthके साथ कुल वार्षिकी (Annuity) पर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया कि ग्राम के रकबे के आधार पर प्रत्येक भू–विस्थापितों की घटते क्रम में वरीयता सूची तैयार किया जायेगा।

संबंधित क्षेत्र के भूमि हीन विस्थापित व्यक्तियों, बटाई दार, कृषक, कृषक, रोजी मजदूरों के लिए सहकारी संस्था बनाने की सुविधा रहेगी, जिन्हें खदान से संबंधित छोटे–छोटे कार्य दिये जायेंगे। खदान में कार्य करने वाले ठेकेदारों को भी भूमिहीन ग्रामीणों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

(क) भूमिहीन आदिवासियों, वनोपज पर आश्रित आदिवासियों को रोजगार हेतु मूलभूत सुविधायें, पेटी ठेकेदारी कार्य, सहकारी संस्थायें बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा

(ख) इसके अलावा भू–विस्थापितों को बसाहट स्थल के तौर ग्राम खम्हरिया तथा ग्राम तरदा को विकल्प के तौर पर बताया गया है, कम्पनी द्वारा बसाहट स्थल पर अनुकूल मूलभूत सुविधायें प्रदान करेगी, जिससे उनकी संस्कृति की पहचान कायम रह सके

(कार्यवाही– अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक / महाप्रबंधक, एसईसीएल कुसमुण्डा)

एसईसीएल के अधिकारियों द्वारा ग्राम खोडरी तहसील दीपका के खातेदारों को भूमि के रकबे में घटते क्रम के तहत् कट–आफ पाईन्ट तक रोजगार दिये जाने हेतु सूची बनाई जाकर प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार कुल खातेदारों 212 में से कुल 113 भू–स्वामियों / आश्रितों को रोजगार प्रदाय किये जाने का उल्लेख किया गया। रोजगार हेतु शेष बचे लोगों को भी कंपनी के प्रावधान के अनुसार परियोजना में प्राईवेट सुरक्षा गार्ड, प्रशिक्षण विकास कर स्व–रोजगार एवं परियोजना में अन्य ठेका एवं को–ऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से रोजगार दिलाये जाने के लिए महाप्रबंधक एसईसीएल कुसमुण्डा को निर्देशित किया गया। जिस पर महाप्रबंधक एसईसीएल कुसमुण्डा द्वारा यथा संभव वैकल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु आश्वस्त कराया गया।

यदि प्रभावित व्यक्तियों का भूमि के अलावा निवास या आवासीय मकान का अर्जन किया जाता है या उन्हें विस्थापित किया जाता है, उन्हें प्रबंधन द्वारा मकान का मुआवजा, बसाहट के लिए प्रति परिवार वयस्क पुरूष सदस्य के आधार पर 6 डिसमिल प्लाट पुनर्वास स्थल पर दिया जाना बताया गया। यदि बसाहट स्थल में उनके द्वारा प्लाट नहीं लिये जाने पर प्लाट के एवज में नगद राशि रूपये 6,00,000=00 (रूपये छः लाख मात्र) प्रत्येक परिवार को दिया जाना बताया है, तथा भूमिहीन विस्थापित रूपये 1,50,000=00 प्रति परिवार दिया जायेगा। विस्थापित परिवारों को निम्नलिखित तालिकानुसार लाभ दिये जायेगें–

विवरण	प्रति विस्थापित परिवार (जिनकी भूमि का अर्जन किया गया है)	प्रति विस्थापित परिवार (भूमिहीन)
गृह निर्माण सहायता राशि (Construction Assistance unit)	रू. 250000 / –	रू. 150000 / –
परिवहन राशि (Transportation Cost)	रू. 50000 / –	रू. 50000 / –
मवेशी शेड / छोटी दुकान हेतु राशि (Cattleshed/Petty Shop)	रू. 50000 / –	रू. 50000 / –
पुनर्वास भत्ता (Resettlement allowance)	रू. 50000 / –	रू. 50000 / –
निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance)	अनुमानित रू. 100000 / –	अनुमानित रू. 100000 / –
कुल लाभ	रू. 500000 / –	रू. 400000 / –
अतिरिक्त लाभ	यदि संपूर्ण ग्राम एक साथ	यदि संपूर्ण ग्राम एक साथ

	भू–खण्ड के बदले मुआवजा राशि के विकल्प का चयन करते हैं तो प्रत्येक परिवार रू. 500000/– का अतिरिक्त लाभ दिया जायेगा।	भू–खण्ड के बदले मुआवजा राशि के विकल्प का चयन करते हैं तो प्रत्येक परिवार रू. 100000/– का अतिरिक्त लाभ दिया जायेगा।

बसाहट स्थल मे पक्की नाली, स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, सामुदायिक भवन, खेल का मैदान, प्राथमिक उपचार केन्द्र, तालाब, पूजा स्थल, स्कूल, पंचायत भवन, आगनबाडी, बाजार के लिए स्थल, शमशान घाट (मुक्तिधाम) पुनर्वास स्थल पर किया जाना बताया गया। भू–विस्थापितो द्वारा बसाहट स्थल ग्राम खमहरिया (वैशालीनगर फेस–2) तहसील दर्री के लिए सहमति व्यक्त की गई तथा बसाहट स्थल को छः माह के भीतर सुव्यवस्थित किये जाने के लिए निर्देशित किया गया। इस संबंध में एसईसीएल प्रबंधन द्वारा वैशालीनगर तहसील दर्री को एक मॉडल बसाहट के रूप में विकसित करने के लिए आश्वस्त किया गया।

(कार्यवाही– अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक बिलासपुर/महाप्रबंधक एसईसीएल कुसमुण्डा)

महाप्रबंधक द्वारा भूमि के मुआवजा के संबंध में कृषि भूमि के बाजार मूल्य के मार्गदर्शक सिद्धांत कलेक्टर गाईड लाईन तथा छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर द्वारा जारी पुनर्वास नीति 2007 तथा RFCTLARR अधिनियम, 2013 के तहत मुआवजा निर्धारण का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया–

क्रमांक	छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति के तहत निर्धारित मुआवजा दर		RFCTLARR 2013,अधिनियम के अनुसूचि –1 तहत निर्धारित मुआवजा दर
1	पड़तभूमि	–6 लाख	ग्राम खोडरी की कास्तकारी जमीन में लगभग रू. 1628877/–प्रति एकड़ निर्धारित किया गयाहै।
2	असिंचित (एक फसली)	– 8 लाख	
3	सिंचित (दो फसली)	–10 लाख	

छत्तीसगढ़ पुर्नवास नीति के तहत निर्धारित मुआवजा, RFCTLARR अधिनियम के तहत निर्धारित मुआवजा राशि से कम होने के कारण RFCTLARR 2013 अधिनियम के तहत निर्धारित मुआवजा दर प्रति एकड़ लगभग रू. 1628877/–के हिसाब से दिये जाने की बात कही गई।

प्रत्यक्ष रैखिक वारिस पुरूष नहीं होने पर पुत्री, पुत्री की पुत्री अथवा पुत्री का पुत्र को रोजगार प्रदान किये जाने हेतु एसईसीएल द्वारा सहमति व्यक्त की गई। उक्त सभी प्रकरणों को एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर से अनुमति प्राप्त कर शीघ्र रोजगार की कार्यवाही हेत निर्देशित किया गया। रोजगार हेतु नामांकन आवेदन लिए जाने के समय भू–विस्थापितों से नामांकन फार्म, अर्जन के समय का बी–1, पी–2, ऋण–पुस्तिका, वंशवृक्ष, शपथपत्र, फौती प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, नामांतरण पंजी, रोजगार कार्यालय के पंजीयन की छाया प्रति ली जावेगी।

(कार्यवाही– अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बिलासपुर/महाप्रबंधक एसईसीएल कुसमुण्डा)

एसईसीएल के कोल इंडिया पुर्नवास नीति 2012 के तहत् रोजगार दिये जाने के संबंध में स्पष्ट लाभ हानि का आंकलन तथा छ0ग0 शासन द्वारा जारी पुनर्वास नीति के तहत् तुलनात्मक लाभ एवंहानि के संबंध में ग्राम वासियों को बताया गया। तुलनात्मक चर्चा के बाद पाया

गया कि कोल इंडिया आर0 एण्ड आर0 पालिसी 2012 के तहत् अर्जित रकबा के घटते क्रम के पद्धति से रोजगार/नौकरी देने से प्रभावित भू-धारकों को अधिकतम रोजगार एवं अन्य वित्तीय लाभ होना बताया गया।

इस संबंध में ग्राम वासियों को समझाईश दिये जाने के पश्चात् उनके स्वीकृति उपरांत कोल इंडिया आर0 एण्ड आर0 पालिसी 2012 के तहत् कार्यवाही करने के लिए निर्णय लिया गया। तदनुसार भू-धारकों को अर्जित रकबा के घटते क्रम की पद्धति से रोजगार/नौकरी की कार्यवाही किया जावें। घटते क्रम के सूची में कट-ऑफ पाईन्ट से नीचे नौकरी से वंचित भू-धारक अथवा उनके द्वारा नामांकित व्यक्तिको एसईसीएल प्रबंधन द्वारा वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने की कार्यवाही किया जावें। इस पर एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र द्वारा सहमति दी गई।

ग्रामीणों द्वारा ग्राम में शिविर लगाकर फौती नामांतरण कराने एवं वंशवृक्ष बनवाने की बात रखी गई, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा राजस्व शिविर लगाकर संबंधित फौती प्रकरणों एवं वंशवृक्ष प्रकरणों के मौका स्थल पर ही निराकरण कराने हेतु निर्देश जारी किए गए।

ग्रामीणों द्वारा रोजगार स्वीकृति पश्चात पोस्टिंग कुसमुण्डा क्षेत्र अथवा कोरबा जिले में ही स्थित ओपन कास्ट माईन्स में दिए जाने हेतु आग्रह किया तथा ग्रामीणों द्वारा जल्द से जल्द मुआवजा, एवं उनकी भूमि एवं परिसम्पित्तियों का उचित मुआवजा एवं पात्र भू-स्वामियों को एसईसीएल में रिक्त पदों के आधार पर कोरबा फील्ड में किसी भी परियोजना में स्थायी रोजगार देने का आश्वासन दिया।

भू-विस्थापितों द्वारा मांग की गई कि जिन भू-विस्थापित एवं नामांकित व्यक्ति के पास (इंजीनियरिंग/मेडिकल) तकनीकी डिग्री या डिप्लोमा होल्डर प्रमाण पत्र है, उन्हें योग्यतानुसार पदस्थ किया जाए। एसईसीएल प्रबंधन द्वारा भविष्य में उन्हें रिक्त पदों के आधार पर योग्यतानुसार एवं कम्पनी द्वारा लागू चयन प्रक्रिया के तहत चुनाव करने का प्रावधान रहेगा।

देश के विकास में भारत सरकार के उपक्रम से कोयला की मांग एवं आवश्यकता को देखते हुए जिला पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना समिती के सदस्यो के मध्य हुई सकारात्मक चर्चा अनुसार कोल इंडिया पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना नीति (CIL R&R POLICY) 2012 तथा गेवरा, कुसमुण्डा एवं दीपका के लिए दिनांक 08.08.2022 को जारी अनुमोदित मोडलटिस (Approved Modalties) के आधार पर ग्राम खोडरी के पात्र भू-विस्थापितों को शीघ्र घटते क्रम की सूची के अनुसार रोजगार एवं नियमानुसार उचित मुआवजा, बसाहट तथा अन्य लाभ दिये जाने हेतु एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र प्रबंधन को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही- अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बिलासपुर/महाप्रबंधक एसईसीएल कुसमुण्डा)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(कलेक्टर महो0 द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर
अपर कलेक्टर
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
कोरबा (छ.ग.)

पृ0क्रमांक / 15783 / पुनर्वास / 2022 कोरबा, दिनांक 23-12-2022

प्रतिलिपि :—

1. अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशिक एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कटघोरा की ओर सूचनार्थ।
3. महाप्रबंधक, एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. तहसीलदार, दीपका की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभावित ग्राम के सरपंच .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला–कोरबा (छत्तीसगढ़)
अपर कलेक्टर
कोरबा (छ.ग.)